



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022021-225328
CG-DL-E-22022021-225328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942

No. 745]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 फरवरी, 2021

का.आ. 813(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार एतद्वारा जल(प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पैन:एएएजेएच0446एफ) को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः

- (क) केन्द्र सरकार से अनुदान;
- (ख) राज्य सरकार से अनुदान; तथा
- (ग) हरियाणा राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु स्वीकृति फीस;
- (घ) विश्लेषण फीस अथवा वायु परिवेशी गुणवत्ता सर्वेक्षण फीस;
- (ङ) परीक्षण फीस;
- (च) अनुमति फीस;
- (छ) अनापत्ति फीस;

- (ज) उपकर प्रतिपूर्ति तथा उपकर अपील फीस;
 - (झ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त फीस;
 - (ञ) जन सुनवाई फीस;
 - (ट) मान्यता फीस;
 - (ठ) स्टाफ को दिए गए ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज; तथा
 - (ड) मियादी जमा पर ब्याज
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-
- (क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; तथा
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा;
 - (घ) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई अकाउंटेंट्स द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।
3. इस अधिसूचना को कर निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, तथा 2024-2025 के लिए लागू होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 8 / 2021 फा.सं. 300196/35/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक